राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः एफ 6 ( ) खाद्य/कम्प्यूटर/Jandhar Yojma/2020 दिनांकः 5-4-2022

परिपत्र

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2020–21 में आमजन को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की घोषणा की गयी थी। उक्त बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिये राजस्थान प्रदेश के समस्त पात्र व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से दिनांक 01.05.2022 से दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार दिनांक 30.04.2022 के उपरान्त पात्र परिवारों के सदस्यों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ, उचित मूल्य की दुकान से राजस्थान जन आधार योजनान्तर्गत राशन वितरण पंजिका अथवा परिवार पहचान संख्या प्रस्तुत करने पर ही प्राप्त किये जा सकेंगे।

ऐसे पात्र परिवार/सदस्य जिनका अभी तक जन आधार नामांकन नहीं हुआ है, वे स्वयं द्वारा जन आधार पोर्टल के माध्यम से अथवा नजदीकी ई–मित्र केन्द्र पर जाकर अपना जन आधार नामांकन करवायें। संबंधित अधिकारी द्वारा इस हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजस्थान राज्य हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु नवीन आवेदन पत्रों पर विचार तभी किये जायेंगे, जब संबंधित परिवार/सदस्य का जन आधार कार्ड बना होगा।

चूंकि देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू है अतः अन्य राज्यों से राजस्थान में आकर राशन प्राप्त करने वाले नागरिको के लिए जन आधार की शर्त की अनिवार्यता नही होगी परन्तु वन नेशन वन राशन कार्ड की शर्तो के अनुरूप "आधार सीडिंग" उनकी जिम्मेदारी होगी।

दिनांक 01.05.2022 से उक्त घोषणा को क्रियान्वित किये जाने हेतु संबंधित विभागों द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी हैं–

(अ) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग–

- राशन डीलर के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र सदस्य जिनका जन आधार नामांकन नहीं है, उनको जन आधार नामांकन कराने हेतु अवगत कराया जाये तथा जन आधार नामांकन कराने की सुविधा ई–मित्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, की जानकारी भी दिलवायी जाये।
- नवीन आवेदन केवल जन आधार कार्डधारी परिवारों/सदस्यों के ही प्राप्त किये जाने है, इसके लिए पोटर्ल पर आवेदन प्राप्त करते समय जन आधार कार्ड की जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार डेटाबेस से उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी व्यवस्थायें सुनिश्चित करेंगे एवं पृथक से आवश्यकतानुसार परिपत्र भी जारी करेंगे।
- वन नेशन वन राशन कार्ड के अन्तर्गत अन्य राज्यों में राशन प्राप्ति हेतु परिवार/सदस्य के आधार के होने को आवश्यक किये जाने संबंधी प्रावधान किया जाना है।
- राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा नवीन पॉस मशीनों की खरीद एवं समस्त पॉस मशीनों के रख–रखाव हेतु नियुक्त नवीन एजेंसीज से भी नयी पॉस मशीनों के सॉफ्टवेयर में इस हेतु उक्तानुसार समुचित प्रावधान सुनिश्चित कराया जायेंगा।

(ब) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग व राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड –

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभों की प्रदायगी जन आधार डेटाबेस से सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्धारित समयावधि में जन आधार पोर्टल में आवश्यक तकनीकी प्रावधान व अपडेट करेंगे।

- e-PoS और SCM (Supply Chain Management) के सॉफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार संबंधित एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर संशोधन का कार्य सुनिश्चित करेंगे।
- ई–मित्र केन्द्रों द्वारा जन आधार नामांकन से छूटे सदस्यों को जन आधार नामांकन कराने हेतु प्रेरित करवाया जाएगा।

(स) राजस्थान जनं आधार प्राधिकरण –

- जन आधार नामांकन से छूटे हुये सदस्यों के जन आधार नामांकन का कार्य जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इस कार्य में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी राशन डीलर व ई–मित्र धारकों से सहयोग लेने हेतु सेतु का काम करेगा।
- भविष्य में जन आधार डेटा बेस में राशन के डेटा बेस को सुचारू रखने को सुनिश्चित किया जाए।

यद्यपि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार कार्ड से दिये जाने के लिये जन आधार व राशन कार्ड डेटाबेस के मैपिंग का कार्य चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक व नगर में लगभग पूर्ण किया जा चुका है फिर भी यदि कोई पात्र परिवार व सदस्य मैपिंग से छूट गये हैं तो वे अपना जन आधार नामांकन करवाकर, जन आधार नामांकन की रसीद प्रस्तुत कर भी राशन प्राप्त कर सकेंगे। यह छूट दिनांक 30 जून, 2022 तक रहेगी।

(नवीन जैन)
शासन सचिव, आयोजना एवं
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा
पदेन महानिदेशक, राज. जन आ. प्रा.

क्रमांकः एफ 6 ( ) खाद्य / कम्प्यूटर / Jandhar Yojma / 2020 दिनांकः 5-4-2022

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त मान. केबिनेट / राज्य मंत्रीगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर।
9. जिला कलक्टर, समस्त जिले।
10. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
12. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
13. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
14. अतिरिक्त निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
15. अतिरिक्त निदेशक (ई–मित्र), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुंर।
16. जिला रसद अधिकारी, समस्त जिले।
17. उप / सहायक निदेशक, जिला कार्यालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिले।
18. एस.ए. / एसीपी (उप निदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, समस्त जिले।
19. संयुक्त निदेशक (ई–पीडीएस / ई–पॉस), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
20. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर निकाय, राजस्थान।
21. उपखण्ड / विकास अधिकारी, समस्त, राजस्थान।
22. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी / प्रोग्रामर, समस्त पंचायत समिति, राजस्थान।
23. रक्षित पत्रावली।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त